उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1976)

THE UTTAR PRADESH MILK ACT, 1976

[U.P. Act No. 7 of 1976]

उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम 1976[1]

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1976]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 अप्रैल, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को प्रकाशित हुआ]

राज्य में दुग्धशाला उद्योग का विकास करने की दृष्टि से दूध के उत्पादन, सम्भरण और वितरण और उसे दुग्ध उत्पाद में परिवर्तित करने का विनियमन और नियंत्रण करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976 कहा जाएगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे [2]दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और उत्तर प्रदेश के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए, भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में–

(क) "प्राधिकृत व्यक्ति" और "प्राधिकृत एजेंसी" का तात्पर्य क्रमशः ऐसे व्यक्ति और ऐसी एजेन्सी से है, जिसे परिषद् इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे ;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा गठित, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् से है ;

(ग) "दुग्धशाला" का तात्पर्य किसी ऐसे भू–गृहादि से है, जहां पर दूध को ठंडा करने, गर्म करने या कोई अन्य उपचार करने के लिए या दूध को दुग्ध उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए या दूध या दुग्ध उत्पाद को पैक करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाय ;

(घ) "निधि" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास निधि से है ;

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट दिनांक 8 अप्रैल, 1976 देखियें ।

2. विज्ञप्ति सं0 1494 (सी) (3)/12–सी0 बी0 –8–73, दिनांक 11 मई, 1973 के द्वारा राज्यपाल एतव् द्वारा 11 मई, 1976 को ऐसा दिनांक नियुक्त करते है, जब से इस अधिनियम के उपलब्ध, धारा 11, 12, 13, 14, 16 और 17 को छोड़कर प्रवृत्त होंगे ।

विज्ञप्ति सं0 646/बारह–ई–4–8–73, दिनांक 10 अगस्त, 1976 द्वारा उपर्युक्त विज्ञप्ति के क्रम में राज्यपाल एतव् द्वारा 15 अगस्त, 1976 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जब से उक्त अधिनियम की धारा 11, 12, 13, 14, 16 और 17 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

(ङ) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेंस से है ;

(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से है ;

(छ) "निर्माता" का तात्पर्य दुग्ध उत्पाद का निर्माण या दुग्ध सान्द्र वस्तुओं को तैयार करने में व्यस्त व्यक्ति या प्रतिष्ठान से है ;

(ज) "विधाकार" का तात्पर्य तरल दूध के संग्रह या उपचार में, जैसे ठंडा करने या गर्म करने या दूध की पुण्य अवधि में वृद्धि करने के लिये किसी अन्य उपचार में व्यस्त किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान से है ;

(झ) "दूध" का तात्पर्य गाय या भैंस के स्तन्य स्त्राव से है ;

(ञ) "दुग्ध आयुक्त" का तात्पर्य धारा 7 के अधीन नियुक्त दुग्ध आयुक्त से है ;

(ट) "दुग्ध उत्पाद" का तात्पर्य दूध, स्प्रेटा, मट्ठा या पनीर, जल से निर्मित किसी वस्तु से है और इसके अन्तर्गत दुग्ध चूर्ण संघनित या वाष्पित दूध, क्रीम, पनीर, घी, खोया, दही, छेना, केसीन, आइस–क्रीम या ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी है जो परिषद् द्वारा दुग्ध उत्पाद अधिसूचित किया जाय ;

(ठ) "आरक्षित क्षेत्र" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन दिये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है ।

अध्याय–2

परिषद् का गठन और कृत्य

परिषद् का गठन

3–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् नामक एक परिषद् गठित करेगी जो एक निगमित निकाय होगी, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और निस्तारण करने की शक्ति रखेगी ।

परिषद् के सदस्य

4–परिषद् में निम्नलिखित होंगे : ––

(क) कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास का प्रभारी आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, जो परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) अध्यक्ष, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जो परिषद् का पदेन उपाध्यक्ष होगा ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन ;

(घ) यथास्थिति, विशेष सचिव या संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पशुधन विभाग, पदेन ;

(ङ) पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(च) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(छ) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(ज) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(झ) दुग्ध उत्पादक संघो के चार प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ञ) उत्तर प्रदेश में, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दुग्धशालाओं के दो प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ट) उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे ; और

(ठ) दुग्ध आयुक्त, पदेन, जो परिषद् का सदस्य–सचिव होगा ।

गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि

5–गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी ।

परिषद् के कृत्य

6–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद का कृत्य सामान्यतया राज्य में दूध उत्पादन और दुग्धशाला उद्योग की आयोजन, नियंत्रण, विकास और विनियमन करना होगा,

(2) विशेषतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाहियां करेगा जिन्हें वह उचित समझे :–

(क) राज्य में दुग्धशाला उधोग के विकास के लिये आयोजना और योजना की तैयारी ;

(ख) दुग्ध उत्पाद के निर्माण और विक्रय के लिये दुग्धशालाओं के और दूध या विधायित दूध के विधाकारों और निर्माताओं को दूध के सम्भरण का विनियमन और व्यवस्था;

(ग) नई दुग्धशालायें स्थापित करने के लिये परियोजना तैयार करने में उद्यमकर्ताओं की सहायता और उसका अनुमोदन ;

(घ) पशुधन के प्रजनन, उत्पादकों के लिये संतुलित पशु आहार और चारा की व्यवस्था और पशु रोग के नियंत्रण और उपचार से सम्बन्धित कार्यकलाप का सूत्रपात, पथ–प्रदर्शन और समन्वय ;

(ङ) दूध और दुग्ध उत्पाद के मूल्य का विनियमन ;

(च) परिषद् द्वारा अपने जिम्मे लिये गये कृत्य के निर्वहन के सम्बन्ध में निधि की प्राप्ति और व्यय ; और

(छ) ऐसे अन्य उपाय करना, जो विहित किये जायें ।

दुग्ध आयुक्त की नियुक्ति

7–राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुग्ध आयुक्त नियुक्त करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त या आरोपित कर्त्तव्य का पालन और सभी शक्ति का प्रयोग करेगा ।

परिषद् के कर्मचारी

8–(1) दुग्ध आयुक्त परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा ।

(2) राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से पालन करने के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का सामान्य नियंत्रण और निदेशन, परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुए दुग्ध आयुक्त में निहित होगा।

दुग्ध विकास निधि

9–(1) उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास निधि नामक एक निधि स्थापित की जायेगी जिसका प्रशासन और नियंत्रण परिषद् करेगी और जिसमें परिषद् की ओर से प्राप्त सभी धन जमा किया जायेगा ।

(2) विशेषतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को निम्नलिखित स्त्रोत से हुई आय को निधि में जमा किया जायेगा :–

(क) धारा 16 के अधीन उपकर की आय में से सरकार द्वारा निधि में जमा की जाने वाली राशि ;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राप्त लाइसेंस फीस ; और

(ग) राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन या निकाय से प्राप्त अनुदान और वित्तीय सहायता ।

वाह्य नियंत्रण

10–(1) परिषद् राज्य सरकार को ऐसे समय और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश देकर निदेशित करे, ऐसी विवरणी, आख्या और विवरण–पत्र प्रस्तुत करेगी जिसकी अपेक्षा राज्य सरकार समय–समय पर करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो मास के भीतर, राज्य सरकार को गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रम का ठीक और पूर्ण वृतान्त प्रस्तुत करेगी ।

(3) परिषद् का लेखा स्थानीय निधि समझा जायेगा और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश उसकी लेखा परीक्षा करेगा ।

(4) अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, परिषद् नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ–प्रदर्शित होगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें ।

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अध्याय–3

रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस, उपकर और निर्बन्धन

दुग्धशाला विधाकर्ता या निर्माता को लाइसेंस

11–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति दुग्धशाला या दुग्ध विधा यूनिट इस निमित्त लाइसेंस के बिना स्थापित नहीं करेगा जिसमें परिषद् द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में दूध या दुग्ध उत्पाद का उपयोग किया जाता है या उपयोग करने की अधिष्ठापित क्षमता है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से इस निमित्त नियुक्त दिनांक पर (जो दिनांक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् तीन मास के पूर्व नहीं होगा) या उसके पश्चात् कोई व्यक्ति इस निमित्त लाइसेंस के बिना कारबार दुग्धशाला का या विधाकार या निर्माता के

रूप में नहीं करेगा जो परिषद् द्वारा अधिसूचना से इस निमित्त विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में दूध या दुग्ध उत्पाद का उपयोग करता है या उपयोग करने की अधिष्ठापित क्षमता रखता है ।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी दुग्ध विधा यूनिट को इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने से इंकार नही किया जायेगा यदि वह विहित रीति से आवेदन–पत्र दे और विहित शर्तों का अनुपालन करे और ऐसी प्रतिभूति और ऐसी फीस दे जो विहित की जाय ।

स्पष्टीकरण–1–राज्य सरकार भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए या भिन्न–भिन्न श्रेणियों, अर्थात् दुग्धशाला, विधाकार या निर्माता के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत कर सकती है ।

स्पष्टीकरण–2–स्पष्टीकरण 1 में उल्लिखित श्रेणियों या उसके भिन्न–भिन्न वर्गों के लिए भिन्न–भिन्न दर या फीस नियत की जा सकती है ।

आरक्षित क्षेत्र

12–(1) परिषद्, उचित मूल्य पर पर्याप्त दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है ।

(2) जब कोई क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय तब उस क्षेत्र की दुग्धशाला या दुग्धशालायें, यदि परिषद् द्वारा ऐसा निदेश दिया जाय, उस क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सब दूध ऐसे मूल्य पर खरीदेगी जिसे परिषद् सुसंगत तथ्यों को, जैसे पूर्ववर्ती वर्ष में उस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता और गुण और दूध के मूल्य को, ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे ।

परिवहनकर्ता को लाइसेंस देना

13–किसी प्राधिकृत व्यक्ति या एजेन्सी से भिन्न कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किये बिना, किसी आरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी स्थान से ऐसे क्षेत्र के बाहर किसी स्थान में दूग्ध उत्पाद का संग्रह नहीं करेगा, उसे ले नहीं जायेगा और उसका परिवहन नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात 20 किलोग्राम से अनधिक घी या 20 लीटर से अनधिक दूध और 10 किलोग्राम से अनधिक किसी दुग्ध उत्पाद का परिवहन करने पर या उसे ले जाने पर लागू नहीं होगी ।

लाइसेंस का प्रदान, निलम्बन या निरसन प्रतिभूति का समपहरण और प्रतिकर के दावे पर रोक

14–(1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस, विहित शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी प्रतिभूति देने और ऐसी फीस का भुगतान करने पर जो विहित की जाय, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से दिया जायेगा या नवीकृत किया जायेगा ।

(2) यदि कोई लाइसेंसधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धो का या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो धारा 20 के अधीन दण्ड विषयक उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाइसेंस प्राधिकारी उसको स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है :

परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन लाइसेंस को रद्द करने का नोटिस देते समय लाइसेंस को निलम्बित कर सकता है ।

(3) जहां कोई लाइसेंसधारी दूध या दुग्ध उत्पाद की शुद्धता या गुण के मानक से सम्बनिधत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया

गया हो, वहां लाइसेंस प्राधिकारी दण्ड की प्रकृति और गुरूता और ऐसी परिस्थिति को, जिसमें अपराध किया गया था ध्यान में रखते हुए, उसका लाइसेंस उपान्तरित या रद्द कर सकता है ।

(4) धारा 20 या उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि लाइसेंस प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया है और यह कि उसकी प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण आवश्यक है, तो वह उसे स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा उसकी सम्पूर्ण या आंशिक प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण कर सकता है ।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस को निलम्बित या रद्द या उपान्तरित करने के प्रत्येक आदेश या उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के आदेश की एक प्रति लाइसेंसधारी को प्रेषित की जायेगी ।

(6) उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन लाइसेंसधारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की संसूचना के दिनांक से साठ दिन के भीतर परिषद् के अध्यक्ष को विहित रीति से अपील कर सकता है ।

(7) लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस के रद्द या निलम्बित किये जाने पर प्रतिकर का या लाइसेंस फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा ।

दूध और दुग्ध उत्पाद के विक्रय और परिवहन और निर्यात का प्रतिषेध या विनियमन

15–राज्य सरकार लोकहित में, और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ––

(क) किसी विशिष्ट क्षेत्र में दूध के विक्रय या सम्भरण, या किसी दुग्ध उत्पाद के निर्माण, विक्रय या सम्भरण को;

(ख) राज्य के किसी एक क्षेत्र से राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में दूध या दुग्ध उत्पाद के परिवहन को, या राज्य के बाहर किसी स्थान में उसके निर्यात को, अधिसूचना द्वारा विनियमित कर सकती है या उसके सम्बन्ध में मूल्य निर्धारित कर सकती है ।

दूध के क्रय पर उपकर

16–(1) राज्य सरकार दूध या दुग्ध उत्पाद के विक्रय या क्रय या सड़क द्वारा लाने पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी दर या दरों पर जैसी विहित की जाय, यथास्थिति, दूध या दुग्ध उत्पाद के मूल्य के दस प्रतिशत से अनधिक कर आरोपित, उद्गृहीत और प्रभारित कर सकती है और ऐसा कर दुग्धशाला द्वारा या विधाकर्ता, निर्माता या राज्य के बाहर दूध या दुग्ध उत्पाद के परिवहनकर्ता द्वारा देय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरोपित कोई कर केवल एक स्थल पर उद्गृहीत किया जायेगा और ऐसी रीति से दिया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

(3) इस धारा के अधीन आरोपित कर "दूध उपकर" कहलाएगा ।

(4) उपकर का संग्रह करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण–पत्र अग्रसारित कर सकता है, जिसमें सम्बद्ध व्यक्ति से देय बकायें की राशि उल्लिखित की जायेगी, और कलेक्टर ऐसा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट राशि को वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानों वह भू–राजस्व का बकाया हो ।

17–प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार उपकर के आगम की पूरी राशि को, जो धारा 16 के अधीन आरोपित किया जाय और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा वसूल किया जाय, संग्रह–व्यय की कटौती करने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि से और उसके बाहर निकालेगी और उसे उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास निधि में जमा करेगी और ऐसी राशि का उक्त निधि में जमा किया जाना राज्य की संचित निधि पर प्रभार होगा । **उपकर की आय दुग्ध विकास निधि में रखी जायेगी**

अध्याय – 4

शास्ति और प्रक्रिया

18–कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर, न कि उसके सिवाय, करेगा जो परिषद् या परिषद् द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति से अपराध किये जाने के पश्चात् निकटतम छः मास के भीतर की जाय । **अपराध का संज्ञान**

19–प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा । **न्यायालय की अधिकारिता**

20–कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रथम अपराध के लिये दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध जारी रहे पांच सौ रूपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा। **शास्ति**

21–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध को करने के समय उस कम्पनी का प्रभारी और उसके कार्य संचालन के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह दण्ड का भागी होगा मानों यह अपराध उसके द्वारा स्वयं किया गया था : **कम्पनियों द्वारा अपराध**

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को किये जाने से रोकने का सभी सम्यक् प्रयास किया था ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सविच या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या उनकी किसी उपेक्षा करने के कारण हुआ तो कम्पनी का ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी और वह दण्ड का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये ––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराध का शमन

22–(1) दुग्ध आयुक्त या परिषद् द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर, जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है :

परन्तु किसी अपराध का, जिसके अन्तर्गत परिषद् द्वारा या उसकी ओर से जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन न किया जाना भी, तब तक शमन नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे आदेश का यथाव्यवहार्य अनुपालन न किया गया हो ।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया गया हो, वहां अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायगी ।

अध्याय – 5

प्रकीर्ण

परिषद् के आदेश और दस्तावेज का अधि–प्रमाणन

23–परिषद् की समस्त अनुज्ञा, आदेश, विनिश्चय और अन्य दस्तावेज मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधि–प्रमाणित किये जायेंगे ।

उपक्रम आदि का निरीक्षण

24–लाइसेन्स प्राधिकारी या दुग्ध आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपना यह समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं किया गया है, न किया जा रहा है और न किये जाने की सम्भावना है, किसी दुग्धशाला या किसी विधाकर्ता या निर्माता के किसी उपक्रम के भू–गृहादि, उपस्कर या अभिलेख दुग्धशाला या किसी विधाकर्ता या निर्माता के किसी उपक्रम के भू–गृहादि, उपस्कर या अभिलेख और दूध या दुग्ध उत्पाद का निरीक्षण या जांच कर सकता है या करा सकता है ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

25–कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमो और विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो।

कार्य जो अविधिमान्य नहीं होगे

26–परिषद् का कोई कार्य उसी सदस्यता में किसी रिक्ति या उसके गठन या अधिष्ठान में किसी त्रुटि के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

27–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् : ––

(क) परिषद् द्वारा कार्य संचालन ;

(ख) दुग्ध आयुक्त के कर्त्तव्य, शक्ति और कृत्य ;

(ग) परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों में सदस्यों की नियुक्ति ;

(घ) वित्तीय विवरण–पत्र तैयार करना और प्रस्तुत करना ;

(ङ) रीति, जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें दुग्ध विकास निधि का प्रशासन और उससे भुगतान किया जायेगा ;

(च) लाइसेन्स देने की रीति और लाइसेन्स फीस की दर ;

(छ) दूध उपकर की दर और उन्हें आरोपित और संग्रह करने की रीति ;

(ज) परिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण–पत्र और विवरणी और परिषद् या दुग्धशाला, निर्माता और विधाकर्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अन्य प्रपत्र ;

(झ) दुग्ध संघ, दुग्धशाला, विधाकर्ता या निर्मात के बीच विवाद का दुग्ध आयुक्त को निर्देश और इस सम्बन्ध में दुग्ध आयुक्त द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे परिषद् द्वारा विहित किया जाना हो और किया जाय ।

विनियम

28–(1) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित की वयवस्था करने के लिये परिषद् विनियम बना सकती है : ––

(क) परिषद् या उसकी समितियों के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया ;

(ख) परिषद् के कर्मचारियों के कृत्य और कर्त्तव्य ;

(ग) परिषद् की समितियों का गठन, शक्ति, कर्त्तव्य और कृत्य ; और

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जाय।